मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-9/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26/12/2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रान नबंर आवंटित न होने/अंशदान का नियमित कटौत्रा न होने पर जमा राशि के अंतिम भुगतान बावत् ।

संदर्भ- मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2003/नियम/चार, दिनांक 07 जून 2007, परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2003/नियम/चार, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008, परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2003/नियम/चार, दिनांक 23 मार्च 2010 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 9-9/2013/नियम/चार, दिनांक 23 नवम्बर, 2013.

—••—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के त्यागपत्र देने, सेवानिवृत्त होने अथवा मृत्यु होने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत किये गये अंशदान के अन्तिम भुगतान के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये हैं। शासन के समक्ष ऐसे प्रकरण ध्यान में लाये गये है, जिनमें कर्मचारी के प्रॉन नंबर, एन.एस.डी.एल. से नहीं जारी हुये हैं तथा अभिदाता अंशदान एवं शासकीय अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं हुआ है । ऐसे प्रकरणों में अंतिम भुगतान में आ रही कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये अंतिम भुगतान हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-9/2013/नियम/चार, दिनांक 23-11-2013 में संलग्न प्रपत्र अनुसार मिसिंग कटौत्रे या चालान से जमा राशि की जानकारी संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा जिला कोषालय अधिकारी से अभिप्रमाणित करायी जाकर संचालनालय, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल को प्रेषित की जावेगी ।

2. नियुक्ति दिनांक से मृत्यु/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र दिनांक तक शासकीय अंशदान न होने की स्थिति में संचालनालय, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल द्वारा राशि का आंकलन किया जायेगा ।

3. कर्मचारी अंशदान तथा शासकीय अंशदान पर नियमानुसार जमा दिनांक से ब्याज की राशि की गणना संचालनालय, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल द्वारा निर्धारित ब्याज दर अनुसार की जायेगी ।

4. इस योजना के अन्तर्गत देय राशि के भुगतान की पात्रता कर्मचारी की मृत्यु पर देय अनुग्रह भुगतान के समान, परिवार के नामांकित/ पात्र सदस्य/सदस्यों को होगी ।

5. संचालनालय, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा देय राशि अभिदाता के बैंक खाते में जमा करेगें । आहरण एवं संवितरण अधिकारी से कोषालय अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में के.वाई.सी. की जानकारी प्राप्त की जावेगी ।

6. उपर्युक्त भुगतान एन.पी.एस. हेतु खोले गये बैंक खाते से किया जाएगा ।

7. ब्याज की दर सामान्य भविष्य निधि की तत्समय प्रभावी ब्याज दर होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-9/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26/12/2019

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय जबलपुर
5. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल ।
8. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल ।
9. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
13. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
14. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
15. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

अवर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग